न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही
बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 09/2019

अपीलार्थी	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1. श्री अनन्त कुमार पुत्र श्री जयन्तीलाल जोशी जाति ब्राह्मण निवासी कुम्हारवाडा आबूपर्वत तहसील आबूरोड जिला सिरोही।		सरकार जरिये तहसीलदार आबूरोड

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :
1. श्री प्रमोद कुमार दवे अधिवक्ता अपीलांट।
2. नीरज कुमारी नायब तहसीलदार सिरोही (पैरोकार सरकार)।

निर्णय

दिनांक : 14.10.2021

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत तहसीलदार आबूरोड द्वारा उनके मुकदमा संख्या 30/2018 में पारित निर्णय दिनांक 29.10.2018 के विरूद्ध दिनांक 09.05.2019 को प्रस्तुत की जो दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलांट अधिवक्ता के निवेदन पर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर रेस्पोडेन्ट को सम्मन जारी किया गया ।

अभिलेख प्राप्त होने एवं सम्मन तामिल होने पर दोनों पक्षों की बहस सुनी गई । अपीलार्थी के लायक अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि तहसीलदार आबूरोड द्वारा मौजा हेटमजी पटवार हल्का आबूपर्वत तहसील आबूरोड जिला सिरोही के खसरा नम्बर 381/118 रकबा 486 रनिंग फिट एवं ऊंचाई 3 फीट किस्म बंजर पर अपीलार्थी का चार दीवार निर्माण को अवैध मान कर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90ए सपठित धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया जो नोटिस अपीलांट को तामिल करवाया गया जिसे अपीलांट पर तामिल मानते हुए उसे उपस्थित बताकर निर्णय पारित कर दिया । अपीलांट को हाजिर बताते हुए निर्माण को भौतिक रूप से ध्वस्त करने एवं रूपये 50/– का जुर्माना आरोपित करने के आदेश पारित किये गये, जो कानूनी रूप से उचित एवं [illegible] नहीं है। यह है कि अपीलांट की मालिकी एवं स्वामित्व की कृषि भूमि [illegible] नम्बर 381/118 को विक्रय किया गया था एवं तब से ही उक्त भूमि के [illegible] ओर निर्माण कार्य किया हुआ था जो विक्रय विलेख में भी अंकित है। यह [illegible] अपीलांट का विवादित [illegible] पर पूर्व विक्रेताओं का जिस प्रकार से कब्जा चला आ रहा था उसी अनुसार अपीलांट द्वारा उक्त भूमि को क्रय किया है एवं अपीलांट द्वारा उक्त विवादित भूमि को दिनांक 07.12.2016 को क्रय करने के पश्चात किसी भी प्रकार का कोई निर्माण

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:06:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

कार्य नहीं किया है। यह है कि अपीलांट द्वारा भूमि को क्रय किया गया एवं तब से ही मौके पर दीवार का निर्माण कार्य किया हुआ था और उपपंजीयक कार्यालय द्वारा भूमि का मौका निरीक्षण कर सन्तुष्ट होने के पश्चात ही अपीलांट के पक्ष में भूमि का विक्रय विलेख पंजीयन किया गया था। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय को बिना जांच कर पारित किया है, जो खारिज किए जाने योग्य है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपीलांट की अपील को स्वीकार फरमाकर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त करना फरमावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से बहस में पेरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि विवादित भूमि पर अपीलार्थी द्वारा बिना पूर्वानुमति के निर्माण कार्य किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने में किसी तरह की कोई कानूनी त्रुटि नही की गई है । पटवारी हल्का आबूपर्वत की रिपोर्ट के आधार पर ही उक्त निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट को पेशी का नोटिस तामिल शुदा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध है। अपीलान्ट आदतन अतिक्रमी है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज किया जाना फरमावें।

मैनें दोनों पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भली भॉति अध्ययन एवं अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हुं कि विवादित भूमि राजस्व रेकर्ड में बंजर दर्ज है। अपीलार्थी को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा संवत् 2075 मे चार दीवारी का अवैध निर्माण कार्य करने से राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90ए सपठित धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। तामिल कुनिन्दा द्वारा तामिल शुदा नोटिस अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किया जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे मौजूद है एवं अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में भी अपीलांट ने स्वयं के हस्ताक्षर कर उपस्थिति दर्ज की है। अपीलान्ट अधिवक्ता का यह कथन कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है, मानने योग्य प्रतीत नहीं होता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि पटवारी हल्का आबूपर्वत की रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट द्वारा मौजा हेटमजी पटवार हल्का आबूपर्वत के खसरा संख्या 381/118 रकबा 486 रनिंग फिट एवं ऊंचाई [illegible] किस्म बंजर पर अपीलांट ने बिना पूर्वानुमति से चार दीवारी [illegible] हुआ है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन [illegible] है कि उक्त विवादित भूमि श्री मदनसिंह पुत्र श्री मोहनसिंह जाति राजपूत निवासी जोधपुर द्वारा दिनांक 28.03.1995 को जरिए पंजीकृत विक्रय विलेख से श्री बजरंग पुत्र श्रीनिवास चौहान निवासी जोधपुर से क्रय की गई एवं उक्त विक्रय विलेख में भी यह अंकित है कि उक्त भूमि पर 495 रनिंग फुट यानी 148.64 रनिंग मीटर बाउण्ड्री वॉल ढाई फुट

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:06:33 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

उंची निर्मितशुदा है। इसके बाद उक्त विवादित भूमि को श्री अखिलेश कुमार पुत्र श्री बृजमोहन जाति अग्रवाल निवासी आबूपर्वत द्वारा दिनांक 22.02.2016 को जरिए पंजीकृत विक्रय विलेख से श्री मदनसिंह पुत्र श्री मोहनसिंह जाति राजपूत निवासी जोधपुर से क्रय किया एवं उक्त विक्रय विलेख में भी यह अंकित है कि उक्त विवादित भूमि पर 69.70 वर्गमीटर में टीनशेड छत का फसल संग्रह स्थल/भवन व 94.5 रनिंग मीटर में बाउण्ड्री वॉल निर्मित है। इसके उपरान्त उक्त विवादित भूमि को अपीलांट द्वारा दिनांक 07.12.2016 को जरिए पंजीकृत विक्रय विलेख द्वारा श्री अखिलेश पुत्र श्री बृजमोहन जाति अग्रवाल निवासी आबूपर्वत से क्रय किया एवं उक्त विक्रय विलेख में भी यह अंकित है कि उक्त भूमि पर 94.5 रनिंग मीटर में बाउण्ड्री वॉल निर्मित है। अतः उक्त पंजीकृत विक्रय विलेखों के आधार पर यह प्रतीत होता है कि उक्त विवादित भूमि पर दिनांक 28.03.1995 से पूर्व ही बाउण्ड्री वॉल बनी हुई है एवं पटवारी हल्का आबूपर्वत द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में उक्त विवादित भूमि पर 486 रनिंग फिट एवं ऊंचाई 3 फीट बाउण्ड्री वॉल निर्मित होना बताया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि उक्त विवादित भूमि पर बाडण्ड्री वॉल पूर्व से ही निर्मित होना एवं अपीलांट द्वारा उक्त विवादित भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाना प्रतीत होता है। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90ए सपठित धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया था। अतः धारा धारा 90ए के तहत कृषि भूमि को गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग के संबंध में है परन्तु पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि अपीलांट द्वारा विवादित भूमि का गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं किया जाकर उक्त विवादित भूमि पर चार दीवारी निर्माण कार्य किया है जो केवल मात्र सुरक्षा की दृष्टि से किया जाना प्रतीत होता है एवं इसे गैर कृषि प्रयोजनार्थ नहीं कहा जा सकता है। अतः उक्त निर्माण पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90ए सपठित धारा 91 के प्रावधान लागू नहीं होते है। अतः उपरोक्त विवेचन एवं दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन करने से यह प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय पारित करने में साक्ष्यों को नहीं देखा गया है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मुकदमा संख्या 30/2018 में पारित निर्णय दिनांक 29.10.2018 को निरस्त किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:06:33 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 14.10.2021 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner